

कार्यालय मध्य प्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम

भदभदा रोड, भोपाल-462003

क्रमांक-मप्रपुआअविनि/स्था-3/558 /2024/ भोपाल,

दिनांक 01/03/24

//आदेश//

मध्यप्रदेश व्यवसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा आयोजित चयन परीक्षा उपरांत उपयंत्री (विद्युत) संवर्ग की उपलब्ध कराई गई चयन सूची अनुसार, मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम में "उपयंत्री (विद्युत)" के पद पर वेतनमान रुपये 32800-103600 (लेवल-08) में नियमानुसार वेतन एवं उस पर देय महंगाई भत्तों पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्षों की परिवीक्षा अवधि पर पूर्णतः अस्थाई तौर पर निम्न शर्तों के अधीन निम्नलिखित अभ्यर्थियों को नियुक्त किया जाता है:-

सं0क्र0	अभ्यर्थी का नाम , पिता का नाम तथा पूर्ण पता	वर्ग
01	जितेश कुमार राहगडाले, पिता श्री बैजनाथ राहगडाले पता-धरना कलां, बरघाट जिला-सिवनी (म0प्र0) पिन कोड-480667, मोबाईल-9691026890	अन्य पिछड़ा वर्ग /ओपन
02	ज्योति, पिता श्री संजीव कुमार, पता-गौ शाला रोड माजरा फाटक के पास, महेन्द्रगढ़, जिला-हरियाणा पिन कोड-123029, मोबाईल-9549988460	अनारक्षित /ओपन
03	शुभि जैन, पिता श्री संजय जैन, पता- कृष्णा नगर, राजेन्द्र नगर, पार्श्व स्तुति कॉलोनी जिला-भोपाल (म0प्र0) पिन कोड-462010, मोबाईल-7987184996	अनारक्षित /महिला
04	राहुल शाक्य, पिता श्री भवर लाल शाक्य, पता-खुशीपूरा चांदबाद जिला-भोपाल (म0प्र0) पिन कोड-462010, मोबाईल-7879990360	अनुसूचित जाति /ओपन
05	भूमिका गोनेकर, पिता श्री शिवप्रसाद गोनेकर, पता- अरेरा कॉलोनी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टाफ कॉलोनी जिला-भोपाल (म0प्र0) पिन कोड-462016, मोबाईल-9340195403	अनुसूचित जाति /महिला

नियुक्ति की अन्य शर्तें नियमानुसार है:-

- अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश प्राप्त होने पर 7 दिवस के अंदर कार्यालय मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम, भदभदा रोड, भोपाल में उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक-सी 3-13/2019/3/एक भोपाल दिनांक 12 दिसम्बर 2019 के अनुसार परिवीक्षा अवधि में नियत वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष में 70%, द्वितीय वर्ष में 80%, एवं तृतीय वर्ष में 90% राशि, स्टापेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जावेगा।
- अभ्यर्थी को सम्पूर्ण सेवा काल में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का पूर्ण रूप से पालन करना होगा।
- उक्त अभ्यर्थियों की परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अध्याधीन होगी एवम् सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 में निहित नियम अनुसार संबंधित अभ्यर्थी की सेवायें किसी भी समय, किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्तों का भुगतान कर समाप्त/छोड़ी जा सकेगी। संबंधित द्वारा एक माह पूर्व नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन भुगतान किये बिना सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर की राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
- अभ्यर्थी को कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से अपना स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अयोग्य घोषित किये जाने पर उन्हें कार्य पर उपस्थित नहीं होने दिया जावेगा।
- अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि में विहित विभागीय परीक्षा (इंजीनियरिंग एवं लेखा) उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। परिवीक्षा अवधि में सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जायेगा, परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(2)

01/03/24



8. अभ्यार्थी के चरित्र सत्यापन मे कोई अपराधिक रिकार्ड की पुष्टि होने पर अथवा अभ्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों मे कोई त्रुटि पाये जाने पर नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी ।
9. उपरोक्त नियुक्तियों माननीय सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय के विभिन्न खण्डपीठों में प्रचलित याचिकाओं के विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित होने वाले निर्णयों के अध्याधीन रहेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण संबंधी नियमों का पालन किया गया है।

(उपेन्द्र जैन)

अमनि/प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना
विकास निगम भोपाल

कमांक- मप्रपुआअविनि/स्था-3/ 558 /2024/भोपाल,

दिनांक 01/03/24

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ :-

- 1- पुलिस महानिदेशक/अध्यक्ष, म0प्र0 पुलिस आ0अ0वि0नि0 भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ।
- 2- मुख्य परियोजना यंत्री, म0प्र0 पुलिस आ0अ0वि0नि0 भोपाल।
- 3- अधीक्षण यंत्री-01, 02, 03, म0प्र0 पु0आ0अ0वि0नि0 भोपाल।
- 4- वित्तीय सलाहकार/मुख्यलेखाधिकारी, म0प्र0 पु0आ0अ0वि0नि भोपाल।
- 5- समस्त परियोजना यंत्री, (सिविल/विद्युत) म0प्र0 पु0आ0अ0वि0नि।
- 6- कार्यालय अधीक्षक, म0प्र0 पु0आ0अ0वि0नि।
- 7- निज सचिव/निज सहायक/लेखा शाखा/स्थापना एवं तकनीकी शाखा की ओर सूचनार्थ।
- 8- संबंधित अभ्यार्थी _____ की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- 9- आदेश पंजी।

(उपेन्द्र जैन)

अमनि/प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना
विकास निगम भोपाल

कार्यालय मध्य प्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम

भदभदा रोड, भोपाल-462003

क्रमांक-मप्रपुआअविनि/स्था-3/559/2024/भोपाल,

दिनांक 01/03/24

//आदेश//

मध्यप्रदेश व्यवसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा आयोजित चयन परीक्षा उपरांत उपयंत्री (सिविल) संवर्ग की उपलब्ध कराई गई चयन सूची अनुसार, मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम में "उपयंत्री (सिविल)" के पद पर वेतनमान रुपये 32800-103600 (लेवल-08) में नियमानुसार वेतन एवं उस पर देय महंगाई भत्तों पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्षों की परिवीक्षा अवधि पर पूर्णतः अस्थाई तौर पर निम्न शर्तों के अधीन निम्नलिखित अभ्यर्थियों को नियुक्त किया जाता है:-

स0क्रं0	अभ्यर्थी का नाम , पिता का नाम तथा पूर्ण पता	वर्ग
01	सुश्री रानी अहिरवार, पिता श्री गोधन सिंह पता-ग्राम बेरखेड़ी जेतु, जिला-विदिशा (म0प्र0) पिन कोड-464001, मोबाईल-7389866040	अनुसूचित जाति / महिला
02	श्री मनीष चौहान, पिता श्री शंकर चौहान, पता-मेन गली गांव बंजर, पोस्ट बंजर भीकनगांव जिला-खरगोन (म0प्र0) पिन कोड-451331, मोबाईल-8120784823	अनुसूचित जाति/ओपन/20 संविदा कोटा
03	सुश्री नेहा नागवांशी, पिता श्री चन्द्रभूषण राज, पता-साई विहार कॉलोनी, जिला-होशंगाबाद (म0प्र0) पिन कोड-461001, मोबाईल-9302616587	अनुसूचित जाति/महिला/20 संविदा कोटा
04	श्री हर्षित पांडे, पिता श्री जयकृष्ण पांडे, पता-धोबाहट, स्कूल टोला सतना, जिला-सतना (म0प्र0) पिन कोड-486550, मोबाईल-9425340342	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/ओपन/20 संविदा कोटा

नियुक्ति की अन्य शर्तें नियमानुसार है:-

- अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश प्राप्त होने पर 7 दिवस के अंदर कार्यालय मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम, भदभदा रोड, भोपाल में उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक-सी 3-13/2019/3/एक भोपाल दिनांक 12 दिसम्बर 2019 के अनुसार परिवीक्षा अवधि में नियत वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष में 70%, द्वितीय वर्ष में 80%, एवं तृतीय वर्ष में 90% राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जावेगा।
- अभ्यर्थी को सम्पूर्ण सेवा काल में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का पूर्ण रूप से पालन करना होगा।
- उक्त अभ्यर्थियों की परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अध्याधीन होगी एवम् सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 में निहित नियम अनुसार संबंधित अभ्यर्थी की सेवायें किसी भी समय, किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्तों का भुगतान कर समाप्त/छोड़ी जा सकेगी। संबंधित द्वारा एक माह पूर्व नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन भुगतान किये बिना सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर की राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
- अभ्यर्थी को कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से अपना स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अयोग्य घोषित किये जाने पर उन्हें कार्य पर उपस्थित नहीं होने दिया जावेगा।
- अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि में विहित विभागीय परीक्षा (इंजीनियरिंग एवं लेखा) उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। परिवीक्षा अवधि में सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जायेगा, परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।


01/03/24



8. अभ्यार्थी के चरित्र सत्यापन में कोई अपराधिक रिकार्ड की पुष्टि होने पर अथवा अभ्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों में कोई त्रुटि पाये जाने पर नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी ।
9. उपरोक्त नियुक्तियों माननीय सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय के विभिन्न खण्डपीठों में प्रचलित याचिकाओं के विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित होने वाले निर्णयों के अध्याधीन रहेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण संबंधी नियमों का पालन किया गया है।

(उपेन्द्र जैन)

अमनि/प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना
विकास निगम भोपाल

क्रमांक- मप्रपुआअविनि/स्था-3/ 559/2024/भोपाल,

दिनांक 01/03/24

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ :-

- 1- पुलिस महानिदेशक/अध्यक्ष, म0प्र0 पुलिस आ0अ0वि0नि0 भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ ।
- 2- मुख्य परियोजना यंत्री, म0प्र0 पुलिस आ0अ0वि0नि0 भोपाल ।
- 3- अधीक्षण यंत्री-01, 02, 03, म0प्र0 पु0आ0अ0वि0नि0 भोपाल ।
- 4- वित्तीय सलाहकार/मुख्यलेखाधिकारी, म0प्र0 पु0आ0अ0वि0नि0 भोपाल ।
- 5- समस्त परियोजना यंत्री, (सिविल/विद्युत) म0प्र0 पु0आ0अ0वि0नि0 ।
- 6- कार्यालय अधीक्षक, म0प्र0 पु0आ0अ0वि0नि0 ।
- 7- निज सचिव/निज सहायक/लेखा शाखा/स्थापना एवं तकनीकी शाखा की ओर सूचनार्थ ।
- 8- संबंधित अभ्यार्थी _____ की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
- 9- आदेश पंजी ।

(उपेन्द्र जैन)

अमनि/प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना
विकास निगम भोपाल